एमएसएमई ऋण की सामान्य शर्तें और नियम

डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एक्सप्रेस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 ("डीएमआई") में है, द्वारा मुझे/हमें प्रदान किए गए ऋण के संबंध में **इन** सामान्य नियमों और शर्तों ("टी एंड **सी ") को स्वीकार कर लिया है, जिसका अर्थ है और इसमें डीएमआई द्वारा इन टी एंड सी की स्वीकृति के लिए भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड (" ओटीपी ")** को दर्ज करके इसके उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी शामिल होंगे और ये मेरे लिए बाध्यकारी होंगे। डीएमआई की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रासंगिक स्थानीय भाषा में इस टी एंड सी की अनुवादित प्रति और मांग पर मुझे/हमें भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

1. परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1. परिभाषाएं

इस नियम एवं शर्तों तथा ऋण आवेदन में निहित नियम एवं अभिव्यक्तियाँ निम्नानुसार परिभाषित हैं:

(i) " **उपलब्धता अवधि** " से तात्पर्य उस अवधि से है जिसके भीतर उधारकर्ता स्वीकृत ऋण की निकासी का अनुरोध कर सकता है, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान किया गया है।

(ii) " **उधारकर्ता** " का अर्थ है मुख्य तथ्य विवरण में वर्णित उधारकर्ता/आवेदक और इसमें कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी, हित में उत्तराधिकारी और अनुमत असाइनी (जैसा लागू हो) शामिल हैं। संदर्भ की आसानी के लिए, सह-उधारकर्ताओं को सामूहिक रूप से यहां 'उधारकर्ता' के रूप में भी संदर्भित किया जाएगा।

(iii) " **उधारकर्ता की देयताएं** " का अर्थ है, स्वीकृत ऋण के लिए ऋणदाता द्वारा डीएमआई को देय सभी राशियां, जिसमें बिना किसी सीमा के, कोई भी बकाया मूल राशि, ब्याज, तथा वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार उसके संबंध में देय कोई अन्य शुल्क, लागत और व्यय शामिल हैं।

(iv) " **क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी** " का तात्पर्य किसी भी आरबीआई द्वारा अनुमोदित क्रेडिट सूचना कंपनियों से है, जिसमें बिना किसी सीमा के ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड, इक्विफैक्स, सीआरआईएफ हाई मार्क और एक्सपेरियन शामिल हैं।

(v) " **कूलिंग ऑफ पीरियड** " से तात्पर्य प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट अवधि से है, तथा यह अवधि उधारकर्ता को वितरित स्वीकृत ऋण से बाहर निकलने के लिए दी जाती है, यदि उधारकर्ता ऐसे स्वीकृत ऋण को जारी न रखने का निर्णय लेता है।

(vi) " **देय तिथि** " का तात्पर्य किसी भी उधारकर्ता के बकाए के संबंध में किसी भी भुगतान के संबंध में है, अर्थात वह तिथि जिस पर वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार किसी भी स्वीकृत ऋण के संबंध में उधारकर्ता से डीएमआई को कोई राशि देय होती है।

(vii) " **ईपीआई** " का अर्थ पुनर्भुगतान की समतुल्य या निश्चित राशि है, जिसमें मूलधन और ब्याज (यदि लागू हो) दोनों घटक शामिल हैं, जिसे उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत ऋण के पुनर्भुगतान के लिए निश्चित अंतराल पर या बकाया स्वीकृत ऋण के लिए एकल पुनर्भुगतान किस्त के रूप में भुगतान किया जाएगा (प्रत्येक मामले में मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार) ब्याज (यदि लागू हो) के साथ, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में ऐसे स्वीकृत ऋण की अवधि के भीतर स्वीकृत ऋण का पूर्ण परिशोधन होगा।

(viii) " **चूक की घटना** " का अर्थ खंड 6.1 में दिया गया है।

(ix) " **वित्तपोषण दस्तावेज़** " का अर्थ है यह नियम एवं शर्तें, स्वीकृति पत्र, ऋण आवेदन, मुख्य तथ्य विवरण, इसके अनुलग्नक सहित और उधारकर्ता द्वारा निष्पादित या डीएमआई द्वारा अपेक्षित कोई भी दस्तावेज़, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया हो।

(x) " **ब्याज** " का तात्पर्य ऐसे स्वीकृत ऋण की बकाया मूल राशि पर देय ब्याज, यदि कोई हो, प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान की गई दर और तरीके से है।

(xi) " **मुख्य तथ्य विवरण** " का अर्थ है स्वीकृत ऋण के मुख्य तथ्यों और शर्तों का विवरण, सरल और समझने में आसान भाषा में, डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को समय-समय पर, लागू कानून के तहत निर्धारित मानकीकृत प्रारूप में प्रदान किया जाता है, जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अलावा, वार्षिक प्रतिशत दर का विवरण, संग्रह एजेंसी का विवरण, यदि कोई हो, शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण, कूलिंग ऑफ अवधि, आदि शामिल हैं।

(xii) " **विलंब भुगतान शुल्क** " का अर्थ है चेक के अनादर या मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित किसी अधिदेश के कारण चूक की स्थिति में उधारकर्ता द्वारा देय बाउंस शुल्क, ऐसे अनादर की प्रत्येक घटना के लिए।

(xiii) " **ऋण आवेदन** " का तात्पर्य स्वीकृत ऋण प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को प्रस्तुत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन से है।

(xiv) " **भौतिक प्रतिकूल प्रभाव** " का अर्थ है कोई भी घटना जिसका (i) उधारकर्ता की देनदारियों का भुगतान करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; या (ii) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत डीएमआई के अधिकार और उपाय; या (iii) उधारकर्ता की देनदारियों की वसूली। डीएमआई द्वारा किसी घटना को भौतिक प्रतिकूल प्रभाव माना जाना चाहिए या नहीं, इस पर कोई भी निर्धारण उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

(xv) " **अधिदेश** " का अर्थ इस अनुच्छेद के अंतर्गत धारा 4.1 में निर्दिष्ट है।

(xvi) **"अतिदेय शुल्क" का अर्थ है प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित दंडात्मक शुल्क जो उन सभी राशियों पर देय है जिनका भुगतान उनकी संबंधित देय तिथियों पर नहीं किया जाता है। अतिदेय शुल्क को डीएमआई द्वारा** पूंजीकृत नहीं किया जाएगा **, अर्थात ऐसे अतिदेय शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जाएगा।**

(xvii) " **गोपनीयता नीति** " का अर्थ है डीएमआई की गोपनीयता नीति जो https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/ पर उपलब्ध है।

(xviii) " **उद्देश्य** " का तात्पर्य मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित स्वीकृत ऋण के अनुमत उपयोग से है।

(xix) " **आरबीआई** " का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक से है।

(xx) " **स्वीकृत ऋण** " का तात्पर्य उस राशि से होगा जिसे ऋणदाता द्वारा ऐसे स्वीकृत ऋण के लिए जारी किए गए वित्तपोषण दस्तावेजों और मुख्य तथ्य विवरण के अनुसार निकाला जा सकता है।

1.2. **व्याख्या**

इस नियम एवं शर्त में:

(i) एकवचन में बहुवचन शामिल है (और इसके विपरीत); तथा

(ii) लिंग के संदर्भ में महिला, पुरुष और तटस्थ लिंग के संदर्भ शामिल होंगे, जैसा भी लागू हो।

2. **स्वीकृति और संवितरण**

2.1. ऋण आवेदन सहित वित्तपोषण दस्तावेजों में उधारकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, डीएमआई ने ऋण को वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों पर स्वीकृत ऋण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। डीएमआई के पास ऐसे अनुरोध को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का एकमात्र और पूर्ण विवेक होगा। यदि डीएमआई ऐसे अनुरोध को मंजूरी देता है, तो उसे वित्तपोषण दस्तावेजों (ऐसे स्वीकृत ऋण के संबंध में जारी किए गए मुख्य तथ्य विवरण सहित) के अनुसार स्वीकृत ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

2.2. उधारकर्ता समझता है कि (i) स्वीकृत ऋण का संवितरण डीएमआई द्वारा उधारकर्ता के सत्यापन और उसकी आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार उसकी संतुष्टि के लिए जाँच के पूरा होने के अधीन है और यदि ऐसा सत्यापन संतोषजनक नहीं है, तो डीएमआई स्वीकृत ऋण को रद्द करने का हकदार होगा; (ii) स्वीकृत ऋण, यदि रद्द नहीं किया जाता है, तो डीएमआई द्वारा उसकी आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार उसकी संतुष्टि के लिए सत्यापन और जाँच के पूरा होने के बाद संवितरित किया जाएगा। उधारकर्ता समझता है कि उधारकर्ता को प्रदान किया गया स्वीकृत ऋण डीएमआई के आंतरिक मानदंडों और

एकमात्र विवेक के अनुसार है और इसे डीएमआई द्वारा किसी भी समय अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से रद्द या निरस्त किया जा सकता है। किसी भी स्वीकृत ऋण के रद्द होने की विधिवत सूचना उधारकर्ता को दी जाएगी।

2.3. स्वीकृत राशि, उधारकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर या मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार, उधारकर्ता के बैंक खाते में वितरित की जाएगी। बशर्ते कि यदि स्वीकृत राशि उधारकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर या मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार उधारकर्ता के बैंक खाते में वितरित की जाएगी।

2.4. उधारकर्ता को मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित गैर-वापसीयोग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा, साथ ही उस पर माल एवं सेवा कर भी देना होगा, जिसे वितरित स्वीकृत ऋण से रखा जा सकता है और उसे उधारकर्ता को वितरित किया गया माना जाएगा तथा उधारकर्ता तदनुसार संपूर्ण स्वीकृत ऋण के लिए उत्तरदायी होगा।

2.5. उधारकर्ता डीएमआई के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपने स्वीकृत ऋण, बकाया राशि का विवरण देख सकते हैं और पुनर्भुगतान भी कर सकते हैं।

2.6. उधारकर्ता को कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान मूलधन और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके, बिना किसी दंड के, वितरित स्वीकृत ऋण से बाहर निकलने का विकल्प दिया जाएगा। लुक-अप अवधि के बाद भी स्वीकृत ऋण के साथ जारी रखने वाले उधारकर्ता के लिए, डीएमआई की पूर्व स्वीकृति के साथ ही पूर्व-भुगतान की अनुमति दी जाएगी और मुख्य तथ्य विवरण में डीएमआई द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और पूर्व-भुगतान शुल्क के अधीन होगी।

3. ब्याज और पुनर्भुगतान

3.1. उधारकर्ता मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार स्वीकृत ऋण की अवधि के दौरान प्रत्येक देय तिथि पर ईपीआई के माध्यम से बकाया स्वीकृत ऋण को ब्याज (यदि कोई हो) सहित चुकाएगा। ईपीआई की गणना डीएमआई द्वारा स्वीकृत ऋण और उस पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर देय ब्याज (यदि कोई हो) के परिशोधन के लिए आवश्यक के रूप में की जाएगी और मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अधिकतम ईपीआई से अधिक नहीं होगी। ईपीआई केवल स्वीकृत ऋण और उस पर ब्याज (यदि कोई हो) के विरुद्ध बकाया मूलधन के लिए होगी और इसमें वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा देय कोई दंडात्मक शुल्क/अतिदेय शुल्क या कोई अन्य शुल्क शामिल नहीं है। पहले ईपीआई की राशि और तिथि स्वीकृत ऋण के वितरण की तिथि के आधार पर बदल सकती है और ऐसी संशोधित तिथि और राशि उधारकर्ता को ऐसे भुगतान के लिए देय तिथि से पहले सूचित कर दी जाएगी। डीएमआई के प्रति उधारकर्ता की देयता तभी समाप्त हो जाएगी जब ऋण खाते में बकाया राशि और सभी प्रभार (मुख्य तथ्य विवरण के अनुसार) शून्य हो जाएंगे।

3.2. किसी भी स्थिति में, यदि किसी भी कारण से उक्त ऋण की अवधि मूल अवधि से आगे बढ़ाई जाती है, तो उधारकर्ता स्वीकृत ऋण की बकाया मूल राशि के साथ-साथ अतिदेय शुल्क, विलंबित भुगतान शुल्क और ऐसे अन्य ब्याज/शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट है। उपरोक्त किसी भी अन्य अधिकार और उपायों के लिए पूर्वाग्रह के बिना है जो डीएमआई को इस समझौते के तहत या उधारकर्ता द्वारा देय तिथियों पर उधारकर्ता के बकाया भुगतान में चूक के संबंध में लागू कानून के तहत हो सकता है।

3.3. प्रत्येक ईपीआई का समय पर भुगतान अनुबंध का सार है। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने ईपीआई की गणना की विधि को समझ लिया है और वह इस पर विवाद नहीं करेगा।

3.4. **यदि किसी ईपीआई का भुगतान उसकी नियत तिथि पर नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता को विलंब की अवधि के लिए अतिदेय प्रभार का भुगतान करना होगा, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में प्रावधान किया गया है।**

3.5. वित्तीय दस्तावेजों में कहीं और कही गई किसी भी बात के बावजूद, ईपीआई सहित उधारकर्ता की सभी बकाया राशि, उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को तब देय होगी जब डीएमआई द्वारा मांग की जाएगी, अपने विवेकानुसार और बिना किसी कारण बताए। उधारकर्ता को ऐसी राशि, बिना किसी देरी या आपत्ति के, ऐसी मांग के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर चुकानी होगी।

3.6. डीएमआई ब्याज दर/किसी अन्य शुल्क को संशोधित करने का हकदार होगा और डीएमआई बकाया स्वीकृत ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए ईपीआई/ईपीआई की संख्या की पुनर्गणना कर सकता है। डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को सूचित किया गया ऐसा कोई भी परिवर्तन भावी रूप से लागू होगा और उधारकर्ता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसे संशोधन के मामले में उधारकर्ता ऐसे संशोधन के 30 (तीस) दिनों के भीतर, बिना किसी पूर्व भुगतान दंड के, अर्जित ब्याज (यदि लागू हो) के साथ संपूर्ण बकाया स्वीकृत ऋण का पूर्व भुगतान करने का हकदार होगा।

3.7. ऋणकर्ता को सभी शुल्क, उपकर और अन्य प्रकार के करों का वहन करना होगा, चाहे वे अभी लागू हों या भविष्य में, किसी भी कानून के तहत किसी भी समय वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत डीएमआई को किए गए किसी भी भुगतान के संबंध में देय होंगे। ऋणकर्ता डीएमआई द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों को लागू करने या स्वीकृत ऋणों के संबंध में कोई भी वसूली कार्यवाही करने में देय सभी राशियों और सभी लागतों, शुल्कों, लेवी आदि के लिए उत्तरदायी होगा। ऋणकर्ता स्वीकार करता है कि यदि इन नियमों और शर्तों पर कोई स्टाम्प शुल्क लागू होता है तो ऋणकर्ता इसके लिए उत्तरदायी होगा। यदि उपरोक्त कोई भी शुल्क, शुल्क, कर और लागत डीएमआई द्वारा वहन की जाती है, तो ये ऋणकर्ता से वसूल किए जाएँगे और भुगतान की तिथि से प्रतिपूर्ति तक अतिदेय शुल्क वहन करेंगे।

3.8. वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित किसी भी विपरीत नियम व शर्तों के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा चुकाई गई राशि को सबसे पहले लागत, प्रभार, व्यय और अन्य धनराशियों के लिए; दूसरे, अतिदेय प्रभारों (यदि कोई हो) के लिए; तीसरे, ब्याज के लिए; और अंत में स्वीकृत ऋण की मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए विनियोजित किया जाएगा।

3.9. ब्याज, अतिदेय प्रभार और अन्य सभी प्रभार दिन-प्रतिदिन अर्जित होंगे और उनकी गणना 30/360 दिन की परंपरा के आधार पर की जाएगी।

3.10. यदि किसी भुगतान की देय तिथि कोई व्यावसायिक दिन नहीं है, तो उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान तुरंत अगले व्यावसायिक दिन पर किया जाएगा।

3.11. डीएमआई को उधारकर्ता द्वारा देय सभी राशि बिना किसी कटौती के चुकाई जाएगी। भुगतान के लिए क्रेडिट/डिस्चार्ज केवल देय राशि की वसूली पर ही दिया जाएगा।

3.12. उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि ब्याज दर, दंडात्मक/अतिदेय शुल्क, सेवा शुल्क और अन्य देय शुल्क तथा वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई दरें उसके लिए उचित और स्वीकार्य हैं।

4. भुगतान, पुनर्भुगतान और पूर्व भुगतान का तरीका

4.1. ऋणकर्ता, समय-समय पर डीएमआई द्वारा अपेक्षित अनुसार, बकाया राशि के भुगतान के लिए ऋणकर्ता के बैंक खाते के विरुद्ध आरबीआई द्वारा अधिसूचित ईसीएस/राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) (डेबिट समाशोधन)/कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य समाशोधन अधिदेश (सामूहिक रूप से " **अधिदेश** " के रूप में संदर्भित) प्रदान करेगा। ऐसा अधिदेश ऐसे बैंक से और ऋणकर्ता के ऐसे खाते से निकाला जाएगा जो डीएमआई को स्वीकार्य हो। ऋणकर्ता देय तिथियों/अधिदेश की पहली प्रस्तुति पर बिना चूक के सभी भुगतानों का सम्मान करेगा। ऋणकर्ता द्वारा प्रदान किया गया अधिदेश डीएमआई द्वारा ऋणकर्ता के किसी भी बकाए की वसूली के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऋणकर्ता इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से डीएमआई को ऋणकर्ता को अग्रिम सूचना देने या न देने के साथ ही ऐसी वसूली के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है। उधारकर्ता को तुरंत (और किसी भी स्थिति में 7 (सात) दिनों के भीतर) उधारकर्ता की बकाया राशि के भुगतान के लिए निष्पादित किए गए अधिदेश और/या अन्य दस्तावेजों को बदलना होगा, जैसा कि समय-समय पर डीएमआई द्वारा अपने विवेक पर आवश्यक हो सकता है। अधिदेश पंजीकरण की अस्वीकृति के मामले में, उधारकर्ता मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार अधिदेश अस्वीकृति शुल्क का भी भुगतान करेगा।

4.2. उधारकर्ता को हर समय अपने बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि रखनी होगी ताकि वह संबंधित देय तिथियों पर उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान कर सके। उधारकर्ता उस बैंक खाते को बंद नहीं करेगा जिससे अधिदेश जारी किया गया है या अधिदेश के तहत भुगतान रोकने या देरी करने के लिए बैंक या डीएमआई को निर्देश जारी नहीं करेगा और डीएमआई ऐसे किसी भी संचार पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे किसी भी निर्देश को भी डिफ़ॉल्ट की घटना माना जाएगा।

4.3. उधारकर्ता द्वारा दिया गया अधिदेश उस अधिदेश की संबंधित तिथि तक वैध रहेगा और उधारकर्ता यह दावा नहीं करेगा कि उधारकर्ता द्वारा दिया गया अधिदेश या ऐसा कोई अन्य अधिदेश किसी भी कारण से अवैध है।

4.4. उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि अधिदेश उधारकर्ता के बकाया के भुगतान के लिए स्वैच्छिक रूप से जारी किया गया है, न कि किसी भी उद्देश्य के लिए सुरक्षा के रूप में। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि किसी भी अधिदेश का अनादर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881/भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 के तहत एक आपराधिक अपराध है। उधारकर्ता प्रत्येक अधिदेश अनादर के लिए विलंब भुगतान शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा (जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित है)।

4.5. किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या मतभेद, उधारकर्ता को किसी भी ईपीआई या अन्य राशि के भुगतान को रोकने या विलंबित करने का अधिकार नहीं देगा और डीएमआई को देय तिथियों पर अधिदेश प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

4.6. अधिदेश जारी होने के बावजूद, ऋणदाता बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

4.7. अतिरिक्त , डीएमआई चेक/नकद (लागू कानूनों के अनुसार)/ एनईएफटी/आरटीजीएस/भुगतान के अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के माध्यम से भी भुगतान स्वीकार करेगा और उधारकर्ता अपने बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक होने पर ऐसे विकल्पों का लाभ उठा सकता है। हालाँकि, उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि अधिदेश के अलावा अन्य तरीकों से बकाया राशि के भुगतान की स्थिति में लेन-देन के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा और उधारकर्ता से वसूला जाएगा।

5. उधारकर्ता की शर्तें, प्रतिनिधित्व और वारंटी

5.1. उधारकर्ता को:

(i) वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों का पालन और निष्पादन करना;

(ii) डीएमआई को सभी दस्तावेज तुरंत सौंपे, जिसमें बैंक खाता विवरण भी शामिल है, जिसकी डीएमआई को समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है। उधारकर्ता डीएमआई को स्वतंत्र रूप से (ए) किसी भी बैंक के साथ संवाद करने के लिए अधिकृत करता है, जहां उधारकर्ता का खाता है और बैंक से ऐसे खाते के संबंध में विवरण और विवरण मांगता है; और (बी) उधारकर्ता के किसी भी आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/ग्राहक के साथ, जिसे डीएमआई आवश्यक समझे, जिसमें उधारकर्ता की ऋण पात्रता की निगरानी करना भी शामिल है;

(iii) किसी भी उधारकर्ता के विरुद्ध किसी भी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही की सूचना तुरंत डीएमआई को देना;

(iv) किसी भी प्रतिकूल प्रभाव या चूक की घटना के बारे में डीएमआई को सूचित करना;

(v) कार्यालय/निवास/व्यवसाय के स्थान/पते में सभी परिवर्तनों या उधारकर्ता के व्यवसाय में किसी भी परिवर्तन/बंद होने की लिखित रूप में डीएमआई को सूचित करना;

(vi) ऐसे उधारकर्ता के मामले में जो एकमात्र स्वामित्व या साझेदारी है, उधारकर्ता का एकमात्र स्वामी/साझेदार, स्वीकृत ऋण की बकाया राशि को ब्याज और अन्य बकाया राशि और शुल्क सहित पूरी तरह से चुकाए बिना रोजगार या व्यवसाय या विदेश में लंबी अवधि तक रहने के लिए भारत नहीं छोड़ेगा;

(vii) मुख्य तथ्य विवरण में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्वीकृत ऋण का उपयोग नहीं करेगा और विशेष रूप से इसका उपयोग (क) पूंजी बाजार में किसी भी निवेश के लिए नहीं करेगा, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (ख) प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयों और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए या (ग) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य के लिए या (घ) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है;

(viii) वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्दिष्ट अनुसार सुरक्षा प्रदान करना, यदि कोई हो, या किसी भी उधारकर्ता की ऋण पात्रता में किसी भी परिवर्तन के मामले में डीएमआई द्वारा अपेक्षित हो (जैसा कि डीएमआई द्वारा निर्धारित किया जाता है);

(ix) यह सुनिश्चित करना कि व्यावसायिक आय उस खाते में जमा की जाए जिससे डीएमआई को अधिदेश जारी किए गए हैं;

(x) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 सहित लागू कानूनों का हर समय अनुपालन करना;

(xi) इस T&C की शर्तों को प्रभावी करने के लिए डीएमआई द्वारा अपेक्षित सभी कार्य, कर्म और चीजें करेगा;

5.2. उधारकर्ता, उधारकर्ता की बकाया राशि के पुनर्भुगतान तक, डीएमआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना, कोई भी ऋण (किसी भी अन्य ऋण या उधार सहित) लेने या कोई कॉर्पोरेट गारंटी देने के लिए पात्र नहीं होगा। **इस खंड का उल्लंघन**

करने पर उधारकर्ता को वितरित किसी भी स्वीकृत ऋण की बकाया राशि पर उस अवधि के लिए 3% (तीन प्रतिशत) प्रति वर्ष का दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है।

5.3. उधारकर्ता इसके द्वारा आगे सहमत होता है और DMI और/या उसके विनियामकों या DMI और/या उसके विनियामकों द्वारा नियुक्त किसी तीसरे पक्ष को उधारकर्ता के परिसर और/या खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत करता है। उधारकर्ता DMI, उसके विनियामकों, DMI द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष या उसके विनियामकों द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिए किए गए सभी लागतों और खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगा।

5.4. उधारकर्ता डीएमआई के समक्ष निम्नानुसार प्रतिनिधित्व और वारंट करता है:

(i) ऋण आवेदन में तथा किसी अन्य दस्तावेज में ऋणदाता द्वारा दी गई सभी जानकारी, चाहे वह ऋणदाता की ऋण पात्रता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक हो या न हो, सत्य और सही है तथा किसी भी तरह से भ्रामक नहीं है।

(ii) ऋणकर्ता सभी लागू कानूनों के तहत वित्तपोषण दस्तावेजों और उसके अंतर्गत लेनदेन को निष्पादित करने में सक्षम और हकदार है।

(iii) जहां उधारकर्ता एक व्यक्ति या एकमात्र स्वामित्व है, उधारकर्ता/एकमात्र स्वामी की आयु 18 वर्ष से अधिक है और यह नियम एवं शर्तें उसके लिए एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व है, जो इसकी शर्तों के अनुसार उसके विरुद्ध लागू किया जा सकता है।

(iv) ऋणकर्ता के पास इस नियम एवं शर्तों में प्रवेश करने की पूर्ण क्षमता, शक्ति और प्राधिकार है तथा निष्पादित और वितरित नियम एवं शर्तें ऋणकर्ता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी।

(v) उधारकर्ता लागू कानूनों के अनुसार विधिवत् संगठित और वैध रूप से स्थापित है तथा वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत घोषित रूप से अपना व्यवसाय करने का हकदार है।

(vi) न तो उधारकर्ता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों का निष्पादन और वितरण और न ही उधारकर्ता के किसी भी दायित्व का प्रदर्शन या पालन किसी कानून, क़ानून, नियम, आदेश, ट्रस्ट, समझौते या अन्य साधनों, व्यवस्था, दायित्व या कर्तव्य के उल्लंघन का परिणाम होगा जिसके द्वारा उधारकर्ता बाध्य है। उधारकर्ता ने सभी लागू कानूनों का अनुपालन किया है और आगे भी करता रहेगा और उसने सभी संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यक लाइसेंस/प्राधिकरण प्राप्त कर लिए हैं जैसा कि वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के निष्पादन और अपने व्यवसाय को जारी रखने के लिए लागू कानूनों के तहत आवश्यक है।

(vii) उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि उसे स्वीकृत ऋण लेने से किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

(viii) उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि वह समझता है और उसने मुख्य तथ्य विवरण और वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार स्वीकृत ऋण को अपनी स्वतंत्र इच्छा से और किसी तीसरे पक्ष के दबाव/प्रभाव/दबाव के बिना प्राप्त करने के लिए सहमति दी है।

(ix) ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जो डीएमआई के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उसके दायित्व को प्रभावित करे।

(x) उधारकर्ता ने किसी भी कर या सरकारी बकाया का भुगतान नहीं किया है।

(xi) उधारकर्ता के विरुद्ध कोई मुकदमा/कार्यवाही लंबित या धमकी प्राप्त नहीं है तथा उधारकर्ता को वर्तमान में ऐसे किसी तथ्य की जानकारी नहीं है जिससे ऐसे मुकदमे/कार्यवाही या भौतिक दावों को जन्म मिलने की संभावना हो।

(xii) उधारकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दिवालियापन या दिवालियापन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है।

(xiii) उधारकर्ता को किसी भी नियामक/सांविधिक प्राधिकरण और/या बैंकों और/या वित्तीय संस्थानों और/या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि द्वारा चूककर्ताओं की किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(xiv) चूक की कोई घटना घटित नहीं हुई है और/या अस्तित्व में है या जारी है।

5.5. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/ पर डीएमआई गोपनीयता नीति पढ़ ली है, और उस पर अपनी सहमति दे दी है। उधारकर्ता स्वीकार करता है और डीएमआई को उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई या अन्यथा डीएमआई द्वारा प्राप्त की गई जानकारी का उपयोग, भंडारण और प्रसंस्करण करने के लिए अपनी सहमति देता है, स्वीकृत ऋण प्रदान करने और उसकी निगरानी करने, उसके पुनर्भुगतान और वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के अनुपालन के लिए और डीएमआई की व्यावसायिक आवश्यकताओं और किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए जैसा कि गोपनीयता नीति में विस्तृत है या जिसके लिए उधारकर्ता ने किसी अन्य तरीके से अपनी सहमति प्रदान की है। उधारकर्ता समझता है और सहमत है कि डीएमआई लागू कानून के अधीन, अपने ठेकेदारों, एजेंटों और किसी भी अन्य तीसरे पक्ष को आवश्यकता के आधार पर या डीएमआई गोपनीयता नीति में प्रदान किए गए अनुसार या किसी वैधानिक/नियामक आवश्यकता के अनुसार आवश्यक हो सकता है।

6. डिफ़ॉल्ट की घटनाएँ

6.1. निम्नलिखित कार्य/घटनाएँ प्रत्येक स्वीकृत ऋण के प्रयोजनों के लिए उधारकर्ता द्वारा चूक की घटना मानी जाएँगी:

(i) उधारकर्ता निर्धारित तिथि पर किसी भी उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है;

(ii) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत किसी भी शर्त, अनुबंध, प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणा या पुष्टि का उल्लंघन;

(iii) उधारकर्ता द्वारा कोई धोखाधड़ी या गलत बयान या गलत जानकारी छिपाना, जिससे डीएमआई द्वारा कोई सुविधा प्रदान करने के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता हो;

(iv) उधारकर्ता की मृत्यु, पागलपन या कोई अन्य स्थायी विकलांगता;

(v) उधारकर्ता ड्रॉडाउन का उपयोग उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है या वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित अंतिम उपयोग प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है;

(vi) किसी भी घटना, स्थिति या परिस्थिति (कानून में किसी भी परिवर्तन सहित) का घटित होना, जो डीएमआई के एकमात्र और पूर्ण विचार में भौतिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिसमें उधारकर्ता के दिवालियापन/परिसमापन/दिवालियापन के लिए किसी भी कार्यवाही या कार्रवाई की सीमा या उसकी किसी भी संपत्ति की कुर्की/प्रतिबंध शामिल है;

6.2. डीएमआई का निर्णय कि चूक की घटना घटित हुई है या नहीं, उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

7. चूक के परिणाम

7.1. डिफ़ॉल्ट की किसी भी घटना के घटित होने पर और उसके बाद किसी भी समय, डीएमआई को किसी भी स्वीकृत ऋण के विरुद्ध सभी संवितरण रोकने, स्वीकृत ऋण के संबंध में बकाया सभी राशियों को, चाहे देय हों या नहीं, तुरंत चुकौती योग्य घोषित करने का अधिकार होगा, लेकिन यह दायित्व नहीं होगा और यदि उधारकर्ता 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उक्त भुगतान करने में विफल रहता है, तो डीएमआई अपने विवेक से किसी भी अन्य अधिकार या उपाय का प्रयोग कर सकता है जो डीएमआई को किसी भी लागू कानून के तहत उपलब्ध हो सकता है, जिसमें उधारकर्ता या उनकी संपत्तियों के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा राहत या कुर्की की मांग करना शामिल है। पूर्वोक्त के बावजूद, यदि उधारकर्ता ऐसे भुगतान की देय तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो डीएमआई को अन्य बातों के साथ-साथ उसे एक गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने और तदनुसार क्रेडिट ब्यूरो एजेंसियों को इसकी रिपोर्ट करने का अधिकार होगा।

7.2. उधारकर्ता पूर्वोक्त चूकों या डीएमआई उपायों के प्रयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न सभी कानूनी और अन्य लागतों और खर्चों के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा।

8. खुलासे

8.1. उधारकर्ता स्वीकार करता है और डीएमआई को अधिकृत करता है कि वह उधारकर्ता, स्वीकृत ऋण, उधारकर्ता द्वारा किए गए किसी भी चूक से संबंधित सभी जानकारी और डेटा को ऐसे तृतीय पक्ष/एजेंसियों को प्रकट करे, जिन्हें डीएमआई स्वीकृत ऋण के संबंध में अपने अधिकारों और उपायों के प्रयोग के लिए प्रकट करना उचित और आवश्यक समझे और/या आरबीआई द्वारा अधिकृत हो, जिसमें क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी भी शामिल है। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है और अधिकृत

करता है कि ऐसी जानकारी का उपयोग, प्रसंस्करण डीएमआई/तृतीय पक्ष/क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी/ आरबीआई द्वारा किया जाए, जैसा वे उचित समझें और लागू कानूनों के अनुसार करें। इसके अलावा, चूक की स्थिति में, डीएमआई और ऐसी एजेंसियों को उधारकर्ता/या उसके निदेशकों/भागीदारों/सह-आवेदकों का नाम, जहां लागू हो, 'चूककर्ता' के रूप में ऐसे तरीके से और ऐसे माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार होगा, जैसा डीएमआई/क्रेडिट ब्यूरो उधारकर्ता डीएमआई को अभी या भविष्य में जानकारी साझा करने और/या प्रकट करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा और न ही उधारकर्ता और/या अन्य को इसके कारण होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। इस खंड 8 के प्रावधान T&C की समाप्ति और उधारकर्ता के बकाया के पुनर्भुगतान के बाद भी लागू रहेंगे।

9. मिश्रित

9.1. डीएमआई के अभिलेखों में की गई प्रविष्टियां उधारकर्ता की देयताओं के अस्तित्व और राशि का निर्णायक साक्ष्य होंगी तथा डीएमआई द्वारा प्रस्तुत देयताओं का कोई भी विवरण उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा उस पर बाध्यकारी होगा।

9.2. यदि एक से अधिक उधारकर्ताओं ने संयुक्त रूप से किसी स्वीकृत सुविधा के लिए आवेदन किया है, तो उधारकर्ता की देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता की देयता संयुक्त और अलग-अलग होगी।

9.3. उधारकर्ता सभी दस्तावेजों और संशोधनों को निष्पादित करेगा और डीएमआई द्वारा अपेक्षित डीएमआई के साथ सहयोग करेगा: (i) किसी भी आरबीआई दिशा-निर्देशों/निर्देशों का अनुपालन करने के लिए; या (ii) डीएमआई को वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अधिकारों का पूरा लाभ देने के लिए। उपर्युक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना उधारकर्ता इस बात पर अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देता है कि ऐसा करने में विफल होने पर, ऐसे परिवर्तनों को वित्तपोषण दस्तावेजों में शामिल माना जाएगा और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

9.4. किसी भी स्वीकृत ऋण के निलंबन या समाप्ति के बावजूद, वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार डीएमआई के सभी अधिकार और उपचार तब तक जारी रहेंगे जब तक कि डीएमआई को उधारकर्ता की बकाया राशि पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो जाती।

9.5. उधारकर्ता स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि डी.एम.आई., स्वयं या अपने कार्यालय कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, एक या एक से अधिक तीसरे पक्ष को नियुक्त करने का हकदार होगा और उसके पास पूर्ण शक्ति और अधिकार होगा, जो लागू कानूनों के अधीन होगा (जिसे आगे " **सेवा प्रदाता** " कहा जाएगा) जैसा कि डी.एम.आई. चुन सकता है और उधारकर्ता प्रशासन से संबंधित जानकारी के स्रोत, पहचान और सत्यापन, स्वीकृत ऋण की निगरानी और उससे संबंधित सभी वैध कृत्यों, कर्मों, मामलों और चीजों को निष्पादित करने और निष्पादित करने के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्ति को सौंप सकता है जिसमें नोटिस भेजना, उधारकर्ता से संपर्क करना, डी.एम.आई. के पक्ष में उधारकर्ता से नकद / चेक / ड्राफ्ट / अधिदेश प्राप्त करना शामिल है। सेवा प्रदाता को डी.एम.आई. द्वारा उधारकर्ता से देय किसी भी बकाया राशि के लिए वसूली / संग्रह एजेंट / एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है और ऐसे वसूली एजेंट / एजेंसी का विवरण मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान किया जाएगा या डी.एम.आई. द्वारा परिवर्तित या अद्यतन किए जाने पर उधारकर्ता को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

9.6. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि इस वित्तपोषण लेनदेन से उसके और डीएमआई के बीच देनदार और लेनदार का रिश्ता बनता है, न कि डीएमआई द्वारा दी गई/दी जाने वाली किसी सेवा के संबंध में। तदनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधान इस लेनदेन पर लागू नहीं होंगे।

9.7. उधारकर्ता डीएमआई को उधारकर्ता का पैन/पैन कार्ड की प्रति, अन्य पहचान प्रमाण और बैंक खाता विवरण समय-समय पर प्राप्त करने और क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी से रिपोर्ट तैयार करने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है। और ऐसी अन्य रिपोर्टें जब भी डीएमआई उचित समझे। उधारकर्ता इसके द्वारा सहमति देता है और डीएमआई को आधार ई-केवाईसी या अन्यथा द्वारा अपना केवाईसी सत्यापन करने और आधार ई-केवाईसी और उधारकर्ता के व्यवसाय के सत्यापन सहित ऐसे सत्यापन की प्रक्रिया को विधिवत पूरा करने के लिए अपनी ओर से या अन्यथा आवश्यक सभी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है और ऐसी जानकारी को किसी भी प्राधिकरण के साथ साझा करता है और ऐसी जानकारी को उस तरीके से संग्रहीत करता है जिसे वह लागू कानूनों के अधीन उचित समझता है।

9.8. उधारकर्ता डीएमआई को सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें आय प्रमाण दस्तावेज, निवास और पंजीकृत कार्यालय / अन्य व्यवसाय से संबंधित पते के प्रमाण दस्तावेज, पते के प्रमाण दस्तावेज, पहचान दस्तावेज और व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी वाले अन्य ऐसे दस्तावेज शामिल हैं जो किसी भी स्वीकृत ऋण को

प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और वे डीएमआई द्वारा बाद में उसी को बनाए रखने के लिए भी सहमति देते हैं।

9.9. किसी भी घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य संबंधी जानकारी, दस्तावेज, प्राधिकरण, कार्यवाही, कृत्य, चूक, दावे, उल्लंघन, चूक या अन्यथा सहित किसी भी मामले की भौतिकता के संबंध में डीएमआई और उधारकर्ता के बीच किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, उपर्युक्त में से किसी की भौतिकता के संबंध में डीएमआई की राय अंतिम होगी और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी।

10. गंभीरता

10.1. उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि इन वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत उधारकर्ता का प्रत्येक दायित्व स्वतंत्र है तथा शेष से पृथक करने योग्य है।

11. शासन कानून और अधिकार क्षेत्र

11.1. सभी स्वीकृत सुविधाएं और वित्तपोषण दस्तावेज भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या किए जाएंगे।

11.2. इन प्रस्तुतियों से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और/या दावे या इसके निर्माण, अर्थ या प्रभाव के बारे में या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत पार्टियों के अधिकार और दायित्वों के बारे में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या इसके किसी भी वैधानिक संशोधन या इसके प्रतिस्थापन के लिए अधिनियमित किसी भी क़ानून के प्रावधान के अनुसार नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा तय किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा और अधिनियम की धारा 29(बी) में निर्धारित फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जाएगी। मध्यस्थता के अंतरिम पुरस्कारों सहित पुरस्कार अंतिम होंगे और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। मध्यस्थ ऐसे पुरस्कार में कोई कारण बताए बिना पुरस्कार पारित कर सकता है।

11.3. इसके अलावा, वर्तमान खंड वित्तपोषण दस्तावेजों की समाप्ति के बाद भी लागू रहेगा। दिल्ली, भारत के न्यायालयों को वित्तपोषण दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले किसी भी या सभी विवादों पर विशेष अधिकार क्षेत्र (मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन जो दिल्ली, भारत में भी आयोजित की जानी है) होगा।

12. नोटिस

12.1. वित्तीय दस्तावेजों के संबंध में उधारकर्ता को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस तभी वैध माना जाएगा जब उसे उधारकर्ता को दिया जाए या पंजीकृत डाक से उधारकर्ता के मौजूदा या अंतिम ज्ञात व्यावसायिक या निजी पते पर भेजा जाए या छोड़ा जाए। पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया ऐसा कोई भी नोटिस उधारकर्ता को पोस्ट किए जाने के 48 घंटों के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। डीएमआई को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस तभी वैध माना जाएगा जब वह डीएमआई द्वारा उसके ऊपर बताए गए पते पर प्राप्त किया गया हो।

12.2. स्वीकृत सुविधा के संबंध में उधारकर्ता को किसी भी शिकायत के लिए, वह मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित विवरण के माध्यम से डीएमआई से संपर्क कर सकता है।

13. कार्यभार

13.1. ऋणी को डीएमआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व या कर्तव्यों को संयुक्त रूप से या अलग-अलग किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित या सौंपने या किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई तृतीय-पक्ष हित बनाने का अधिकार नहीं होगा।

13.2. डीएमआई को किसी भी तरीके से (पूरी तरह या आंशिक रूप से और भागीदारी अधिकारों के अनुदान के माध्यम से) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी लाभ, अधिकार, दायित्व, कर्तव्यों और / या देनदारियों को बेचने, हस्तांतरित करने, सौंपने या सुरक्षित करने का अधिकार होगा, उधारकर्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना या उसे सूचित किए बिना, ऐसे तरीके और शर्तों के अनुसार जो डीएमआई तय कर सकता है। ऐसे हस्तांतरण, असाइनमेंट या प्रतिभूतिकरण की स्थिति में, उधारकर्ता ऐसे असाइनी या ट्रांसफरर के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने दायित्व का पालन करेगा और उसे पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता डीएमआई द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर शेष अधिदेश को हस्तांतरिती/असाइनी के पक्ष में प्रतिस्थापित करेगा।

14. **हानि से सुरक्षा**

14.1. ऋणकर्ता इसके द्वारा समय-समय पर और हर समय डीएमआई, उसके कर्मचारियों, प्रतिनिधियों, निदेशकों और सलाहकारों को किसी भी देयता, दावे, हानि, निर्णय, क्षति, लागत या व्यय (बिना किसी सीमा के, युक्तिसंगत वकील की फीस और व्यय सहित) के विरुद्ध क्षतिपूर्ति, बचाव और हानिरहित रखता है, जो ऋणकर्ता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित किसी भी नियम व शर्तों और दायित्वों का पालन करने या निष्पादित करने में विफलता या चूक की घटना या डीएमआई द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है, जिसमें ऋणकर्ता के बकाये की किसी भी सुरक्षा या वसूली का प्रवर्तन शामिल है।

15. **परिसंपत्ति वर्गीकरण**

15.1. **ऋणदाता उधारकर्ता को सूचित करता है कि, आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार - आरबीआई द्वारा जारी 12 नवंबर, 2021 के स्पष्टीकरण, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, डीएमआई उधारकर्ता खातों में प्रारंभिक तनाव को, डिफ़ॉल्ट पर तुरंत, नीचे उल्लिखित वर्गीकरण के आधार पर विशेष उल्लेख खातों ("एसएमए") के रूप में वर्गीकृत करके पहचानेगा** :

15.2. " **अतिदेय तिथि " का** तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन उधारकर्ता खातों को दिन के अंत की प्रक्रिया के भाग के रूप में अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

15.3. उदाहरण : यदि ऋण खाते की देय तिथि महीने की 15-मार्च-22 है और डीएमआई द्वारा इस तिथि के लिए डे-एंड प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो उधारकर्ता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा -

ईपीआई नियत तिथि	**15-मार्च-22**	**देय तिथि से अधिक दिन (DPD)**	**-**
एपि अतिदेय	15-मार्च-22	0-30	एसएमए0
एपि अतिदेय (दिन के अंत तक प्राप्त नहीं)	14-अप्रैल-22	31-60	एसएमए1
ईपीआई का लंबित रहना	14-मई-22	61-90	एसएमए2
ईपीआई का लंबित रहना	13-जून-22	91 और उससे अधिक	एनपीए

वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया हो।

उदाहरण:

विवरण	**परिदृश्य 1***	**परिदृश्य 2**
ऋण वर्गीकरण	एनपीए	एनपीए
ईपीआई राशि	5,000	5,000
अतिदेय ईपीआई	15,000	15,000
भुगतान प्राप्त	5,000	15,000

शेष अतिदेय ईपीआई	10,000	-
ऋण वर्गीकरण	जब तक संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता, उधारकर्ता को एनपीए के रूप में रिपोर्ट किया जाता रहेगा	मानक

आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-2022/158 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.85/21.04.048/2021-22 दिनांक 15 फरवरी, 2022 के संदर्भ में, परिदृश्य 1 (एनपीए के रूप में वर्गीकृत को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में तभी **अपग्रेड किया जा सकता है, जब ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया गया हो) 01 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा।*

टिप्पणी

i. एनपीए खातों की रिपोर्टिंग अब दैनिक आधार पर की जाएगी।

ii. यदि उधारकर्ता के पास डीएमआई से एक से अधिक ऋण हैं, तो सभी ऋणों से संबंधित ब्याज और मूलधन के संपूर्ण बकाया का पुनर्भुगतान करने पर ही ऋण खातों को एनपीए से मानक परिसंपत्ति श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा।

iii. किसी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने से क्रेडिट ब्यूरो द्वारा बनाए गए क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए, डीएमआई सभी उधारकर्ताओं से आग्रह करता है कि वे ऋण चुकौती अनुसूची/मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित नियत तिथि के अनुसार अपना ईपीआई भुगतान करें। इससे क्रेडिट स्कोर में सुधार, दंड से बचने और टॉप-अप ऋण/ऑफ़र के लिए बेहतर पात्रता प्राप्त करने में मदद मिलती है।

iv. हम सभी उधारकर्ताओं को https://portal.dmifinance.in/ पर लॉग इन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ईपीआई का भुगतान करने के लिए .

16. **स्वीकृति:**

मैं/हम जानते हैं कि डीएमआई इस नियम एवं शर्त का हिस्सा बनने के लिए तभी सहमत होगा जब मैं/हम द्वारा नियम एवं शर्त में भरी गई सभी शर्तों और विवरणों तथा डीएमआई नीति के अनुरूप अन्य वित्तीय दस्तावेजों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लूंगा। मैं/हम सहमत हैं कि यह नियम एवं शर्त डीएमआई द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने पर या स्वीकृत ऋण के प्रथम संवितरण की तिथि (जैसा लागू हो) पर, जो भी पहले हो, कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगी।

किसी भी माल या उत्पाद (जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में पहचाना गया है) की खरीद के उद्देश्य से प्रदान किए गए स्वीकृत ऋणों के संबंध में, मैं स्वीकृत ऋण के संबंध में सभी उधारकर्ता बकाए को सुरक्षित करने के लिए डीएमआई के पक्ष में एक सतत सुरक्षा के रूप में वित्तपोषित उत्पाद को बंधक रखता हूं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं स्वीकृत ऋण का उपयोग मुख्य तथ्य विवरण में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करूंगा और विशेष रूप से इसका उपयोग नहीं करूंगा: (ए) पूंजी बाजार में कोई भी निवेश, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (बी) प्राथमिक सोना, सोने की ईंट, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की इकाइयां (ईटीएफ) और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद या (सी) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य या (डी) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

हस्ताक्षर करके या "मैं स्वीकार करता हूँ"/ ई-हस्ताक्षर करके, उधारकर्ता इन नियमों और शर्तों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करता है और उनकी शर्तों से कानूनी रूप से बाध्य होने के लिए सहमत होता है। उधारकर्ता द्वारा इन नियमों और शर्तों को स्वीकार करने से निम्नलिखित का गठन होगा: (I) उधारकर्ता द्वारा इन नियमों और शर्तों को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और बिना शर्त बाध्य होने की सहमति; और (II) उधारकर्ता द्वारा यह स्वीकारोक्ति और पुष्टि कि इन नियमों और शर्तों (वित्तपोषण दस्तावेजों के साथ) को उधारकर्ता द्वारा विधिवत पढ़ा और पूरी तरह से समझा गया है।

अनुबंध a

मुख्य तथ्य कथन

दिनांक: **विनियमित इकाई का नाम** ऋण संदर्भ संख्या

डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

आवेदक का नाम:
सह-उधारकर्ता 1:
सह-उधारकर्ता 2:

क्रमांक I	**पैरामीटर**	**विवरण**
1	ऋण का प्रकार एवं उद्देश्य ऋण का उपयोग केवल इस मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाएगा और विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा: (ए) पूंजी बाजार में कोई भी निवेश, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं; या (बी) प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयों और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद; या (सी) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य; या (डी) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है।	व्यवसाय ऋण
2	स्वीकृत सुविधा (जैसा लागू हो)	
3	स्वीकृत ऋण (जैसा लागू हो)	
4	संवितरण अनुसूची (i) चरणों में या 100% अग्रिम भुगतान। (ii) यदि यह चरणवार है, तो ऋण की शर्त का उल्लेख करें प्रासंगिक विवरण वाला समझौता	100% अग्रिम
5	ऋण अवधि (वर्ष/महीने/दिन)	[●] महीने
6	किस्त का विवरण	
ए	किस्त का प्रकार	महीने के
बी	ईपीआई की संख्या	
सी	ईपीआई राशि	
डी	स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत	
7	ब्याज दर % और प्रकार (घटती शेष राशि पर निश्चित)	% प्रतिवर्ष
8	ऋण की पूरी अवधि के दौरान लगाया गया कुल ब्याज (रुपये में)	
9	**शुल्क/प्रभार** , (यदि कोई हो) (प्रत्येक घटक का विवरण नीचे दिया जाएगा) (रुपये में)	ए+बी+सी
ए	प्रसंस्करण शुल्क (जीएसटी सहित), यदि कोई हो (रुपये में) (एक बार)	
बी	बीमा (जीएसटी सहित) (रुपये में) (एक बार)	
सी	कोई अन्य शुल्क (जीएसटी सहित) (यदि कोई हो) (रुपये में) (एक बार)	
10	शुद्ध वितरित राशि (रुपये में)	
11	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (रुपये में)	
12	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) %	%
13	ऋण भुगतान का तरीका	अधिदेश
14	स्वीकृत सुविधा का चयन किया गया	

15	स्वीकृत सुविधा उपलब्धता अवधि	60 महीने
आकस्मिक शुल्क के बारे में विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)		
16	**विलंबित भुगतान शुल्क -**	
17	**पूर्व-समापन शुल्क: % + पूर्वभुगतान किये गये मूलधन पर जीएसटी।**	
18	**अतिदेय शुल्क** ***ईपीआई का भुगतान नियत तिथि पर न करना*** ***उधारकर्ता के बकाया की अदायगी होने तक, डीएमआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना, कोई भी ऋण (किसी भी अतिरिक्त ऋण या उधार सहित) लेने या कोई कॉर्पोरेट गारंटी देने के लिए पात्र नहीं होंगे।***	
19	**अन्य शुल्क (वैकल्पिक मोड/गैर-नच के लिए लागू) - 30 रुपये तक + जीएसटी**	
20	**NACH अस्वीकृति शुल्क - INR 500+GST**	
21	**डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं:**	
(ए)	डीएमआई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	**5 दिन**
(बी)	वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले तथा उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	**[•]**
(सी)	वसूली के अलावा ऋण संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले एलएसपी/सोर्सिंग पार्टनर/चैनल का नाम (अर्थात सोर्सिंग, मार्केटिंग आदि)	
22	ऋण समझौते का खंड/वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित सामान्य नियम और शर्तें	**धारा 9.5**
23	ऋण समझौते का खंड/सामान्य नियम और शर्तें जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण दिया गया है	**खंड 12.2**
24	क्या ऋण अन्य विनियमित संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है या भविष्य में किया जा सकता है - (हां/नहीं)	**हाँ**
25	**गोपनीयता नीति** - https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/	
26	**नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी** **शिकायत निवारण अधिकारी** नाम- आशीष सरीन पद- वरिष्ठ उपाध्यक्ष - ग्राहक सफलता ईमेल पता: head.services@dmifinance.in/ Grievence@dmifinance.in पता: एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 संपर्क नंबर: 011-41204444 **https://www.dmifinance.in/fair-practice/**	

* *आकस्मिक शुल्क कंपनी की नीति के आधार पर बदला जा सकता है*

संवितरण विवरण (जिस खाते में संवितरण किया जाना है)

मात्रा		**बैंक का नाम**	
खाता नाम		**आईएफएससी कोड**	
खाता नंबर।			

टिप्पणी

जोखिम के वर्गीकरण के लिए डीएमआई के दृष्टिकोण और विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं से अलग-अलग ब्याज दर वसूलने के औचित्य को समझने के लिए, कृपया https://www.dmifinance.in/investor-relations/policies/ पर उपलब्ध डीएमआई की ब्याज दर और शुल्क नीति देखें।

स्वीकृति:

मैं/हम ("उधारकर्ता") इस मुख्य तथ्य विवरण की प्राप्ति की पुष्टि करते हैं और मेरी/हमारी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि उपरोक्त शर्तों पर डीएमआई द्वारा प्रदान किया गया स्वीकृत ऋण ऋण की सामान्य शर्तों और नियमों, इस मुख्य तथ्य विवरण, ऋण आवेदन सहित अनुलग्नकों और मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित या स्वीकृत ऋण के संबंध में डीएमआई द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेज द्वारा शासित होगा , जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है ("वित्तपोषण दस्तावेज")।

मैं/हम वित्तीय दस्तावेजों की शर्तों से कानूनी रूप से बंधे होने के लिए सहमत हैं। मैं/हम समझते हैं कि मेरी/हमारी स्वीकृति में शामिल होगा: (i) वित्तीय दस्तावेजों में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और बिना शर्त बाध्य होने की मेरी/हमारी सहमति; और (ii) उधारकर्ता की स्वीकृति और पुष्टि कि इस मुख्य तथ्य कथन (अन्य वित्तीय दस्तावेजों के साथ) को मैंने/हमने स्थानीय भाषा में या मेरे/हमारे द्वारा समझी जाने वाली भाषा में विधिवत पढ़ा और पूरी तरह से समझा है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हम स्वीकृत ऋण का उपयोग इस मुख्य तथ्य कथन में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे और विशेष रूप से इसका उपयोग निम्नलिखित के लिए नहीं करेंगे: (क) पूंजी बाजारों में कोई निवेश, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं; या (ख) किसी भी रूप में सोने की खरीद, जिसमें प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयां शामिल हैं; या (ग) कोई सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य; या (घ) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

उपभवन बी

चित्रण के लिए गणना का अप्रैल एमएसएमई के लिए ऋण

सीनियर नहीं।	पैरामीटर	विवरण
1	स्वीकृत ऋण मात्रा (में रुपए) (धारावाहिक नहीं। 3 का केएफएस टेम्पलेट – अनुलग्नक ए)	20,000
2	ऋण अवधि (महीनों में) (क्रमांक 5 केएफएस टेम्पलेट का प्रारूप – अनुलग्नक ए)	24
ए)	नहीं। का किश्तों के लिए भुगतान का प्रधानाचार्य, में मामला का गैर-समतुल्य आवधिक ऋण	-
बी)	प्रकार का ईपीआई (उधारकर्ता की पुनर्भुगतान आवृत्ति) मात्रा का प्रत्येक एपि (में रुपए) और संख्या का ईपीआई (उदाहरण, नहीं। का ईपीआई में मामला का मासिक किस्तें) (धारावाहिक नहीं। 6ए, 6बी, 6सी का केएफएस खाका – अनुलग्नक ए)	महीने के 970 24
सी)	नहीं। का किश्तों के लिए भुगतान का बड़ा कर दिया है दिलचस्पी, अगर कोई	-
डी)	प्रारंभ का पुनर्भुगतान, डाक प्रतिबंध (धारावाहिक नहीं। केएफएस टेम्पलेट का 6डी – अनुलग्नक ए)	DDMMYYYY
3	दिलचस्पी दर प्रकार (धारावाहिक नहीं। 7 का केएफएस टेम्पलेट – अनुलग्नक ए)	शेष राशि कम करने पर तय किया गया
4	दर का ब्याज (सीरियल संख्या 7 केएफएस खाका – अनुलग्नक ए)	15 %
5	कुल दिलचस्पी मात्रा को होना आरोप लगाया दौरान पूरा स्वीकृति तिथि पर प्रचलित दर के अनुसार ऋण की अवधि (रुपये में) (धारावाहिक नहीं। 8 का केएफएस खाका – अनुलग्नक ए)	3,274
6	शुल्क/ प्रभार देय (में रुपए)	240
ए	देय को दोबारा (धारावाहिक संख्या 9ए, 9बी और 9 सी केएफएस टेम्पलेट-अनुलग्नक ए)	240
बी	RE के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	0
7	जाल वितरित मात्रा (अनुलग्नक ए का 3-9) (में रुपए)	19,600
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (अनुलग्नक ए के 3 और 8 का योग) (रुपये में)	23,274
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 12-अनुलग्नक ए)	17.07%
10	अनुसूची का अदायगी जैसा प्रति शर्तें और स्थितियाँ	100% अग्रिम
11	देय तारीख का भुगतान का किस्त और ब्याज	हर महीने की 5 तारीख

- विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची के अंतर्गत दी गई किश्तों के योग से गणना की गई पुनर्भुगतान राशि में अंतर (यदि कोई हो) ऊपर उल्लिखित राशि की तुलना में विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची और परिशोधन मॉडल के अंतर्गत किश्त राशि को पूर्णांकित करने के कारण हो सकता है।
- एपीआर की गणना आईआरआर दृष्टिकोण और घटती शेष राशि पद्धति का उपयोग करके शुद्ध वितरित राशि पर की जाती है।
- इस ऋण सुविधा पर लागू शुल्क एवं कटौतियां आवेदन पत्र में उल्लिखित हैं तथा मुझे विधिवत समझा दी गई हैं।

उपभवन सी

उदाहराणदर्शक वापसी अनुसूची अंतर्गत समान सामयिक किस्त के लिए अनुलग्नक बी में दर्शाया गया काल्पनिक ऋण

अंतिम उपयोग पत्र उपक्रम

को,

डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

ऋण संदर्भ संख्या:

विषय: डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त ऋण का अंतिम उपयोग

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं/हम एतद्द्वारा प्रतिनिधित्व, वारंटी और पुष्टि करते हैं कि आपके द्वारा हमारे द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा के अतिरिक्त, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ("डीएमआई") जिसके पास उपर्युक्त ऋण संदर्भ संख्या है, प्राप्त ऋण के उपयोग का उद्देश्य केवल हमारे सामान्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए है जैसा कि ऋण समझौते के तहत अनुमत है / डीएमआई द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित है और यह सट्टेबाजी, अवैध गतिविधियों, पूंजी बाजार/ अचल संपत्ति में निवेश या किसी अन्य नापाक गतिविधियों या किसी भी ऐसे उद्देश्यों के लिए नहीं है जो किसी भी लागू कानून/ नियामक प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से अस्वीकृत हैं।

मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं, पुष्टि करते हैं और वचन देते हैं कि ऋण समझौते के तहत प्राप्त धनराशि के उपयोग के उद्देश्य को ऋण सुविधा की अवधि के दौरान किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा/नहीं बदला गया है, या उद्देश्य में ऐसे परिवर्तन केवल डीएमआई की पूर्व लिखित अनुमति से ही होंगे।

मैं/हम सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि डीएमआई को मेरे/हमारे द्वारा लिए गए ऋण के उपयोग के लिए किसी भी अतिरिक्त पुष्टि की मांग करने का अधिकार होगा और मैं/हम ऋण सुविधा की अवधि के दौरान समय-समय पर डीएमआई द्वारा आवश्यक ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज/सूचना प्रदान करने का वचन देते हैं।

मैं/हम सहमत हैं कि उपर्युक्त सभी या किसी भी वचनबद्धता का पालन करने में कोई भी उल्लंघन या चूक, ऋण समझौते के तहत चूक की घटना मानी जाएगी।

आपका धन्यवाद, सादर,